

Form No. III

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, तिजारा जिला खैरथल-तिजारा (राज०)

फर्द अहकाम
(नियम 26)

हरिप्रसाद बनाम अमीचन्द वगैरे

हुकम का कार्यवाही गय इनीशियल्य जज
वाद - धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
वाद पत्र संख्या 44 वर्ष 2024

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस हुकम
की तारीख में जारी हुए

2024

आज यह पत्रावली पेश हुई। वादी अधिवक्ता उपरिथत है को सुना गया। प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। वादी वास्ते तलवी प्रतिवादीगण को रजिस्टर्ड ए0डी0 के कोर्ट नोटिस तलवाने पेश करें। पत्रावली 10-04-2024 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
तिजारा (खैरथल-तिजारा)

10/4/24
आज पत्रावली पेश हुई। उपस्थित।
पत्रावली पूर्व आदेशानुसार बज्जे
में बज्जे के पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी, तिजारा

24/6/24
आज पत्रावली पेश हुई। उपस्थित।
पत्रावली पूर्व आदेशानुसार बज्जे
में बज्जे के पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी, तिजारा

11/09/24
आज फिर्दा 10/09/24 ज्ञा राज डिप अक्काश होने पर /
पत्रावली पेश हुई PO साहब अन्य प्रशासनिक कार्यों
में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्वानुसार भागामी
दिनांक 1/10/24 को प्रस्तुत हो।

रीडर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, तिजारा

01.10.24
आज पत्रावली पेश हुई। आवाजें लगाई गई।
वार-वार आवाज लगाने पर वादी/वादी अधिवक्ता
अनुपस्थित। अतः वाद अदम हाजरी/अदम पत्रावली
में स्वार्तिज किया जाकर, पत्रावली वाद नम्बर
तकमील नम्बर से काम होकर दाखिल दफ्तार हो

उपखण्ड अधिकारी
जिला खैरथल-तिजारा

